17-3-15 11-12-14

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–1313 /FP/UK/ROAD/8880/2015 :देहरादून:दिनांक: 30 अक्टूबर, 2015

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः–जनपद–उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ से कोट–बागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.262 हे0 वन भूमि का गैर वाकिनी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–शासन की पत्र संख्या–216/X-4-15/1(94)/2015 दिनॉक 17–03–2015.

महोदय,

कृपया राज्य सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 6,00,000.00 (रू0 छः लाख) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 2,21,390.00 (रू0 दो लाख इक्कीस हजार तीन सौ नब्बे) मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर की धनराशि प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। **(संलग्नक–1)**
4. शर्त संख्या–4 व 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो में देय धनराशि रू0 8,21,390.00 (आठ लाख बाईस हजार तीन सौ नब्बे) मात्र को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा कर दिया गया है, जिसका RTGS न0 ORBCH 15139068506 दिनांक 18–05–2015 है। **(संलग्नक–2)**
5. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि जनपद–कार्यबल की संस्तुतियो एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–3)**
6. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयॉकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,
(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 1313 /FP/UK/ROAD/8880/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के पत्र संख्या–11–306/2014–एफ0सी0 दिनांक 08–08–2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त मोटर मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों के छपान/कटान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति निर्गत करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी